फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री रणजीत सिंह　　　　　　　　　　विपक्षी :– श्री राज्य सरकार

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि.　　　　　　　　पत्रावली संख्या : 66/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 19.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 2 से 7 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी. से करा कर रसीद पेश की गई। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नहीं करना चाहा। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा का लकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

--: आदेश :--

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बोल्यों का साथ पटवार हल्का कानोड़ तहसील कानोड़ उदयपुर राज. में आराजी नम्बर 189/1 क्षेत्रफल 6 बिस्वा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड़ को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू--प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड़ को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का ... करावें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:47:04 IST
Reason: SelfAttested

19/7/22
(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर (राज.)

Scanned by CamScanner